मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन
प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष–0522–2289212, 2289296, फैक्स–2239283
ई–मेल : csup@nic.in

संख्या : 259 /पी.एस.एम.एस./2020
दिनांक : 12 अप्रैल, 2020

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

कोविड–19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1– भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये "**आरोग्य सेतु ऐप**" को सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जन–सामान्य को डाउनलोड कराया जाए। यह रोग से स्वयं तथा अन्य लोगों को भी बचाने में अत्यन्त सहायक है। यह ऐप सभी व्यक्तियों द्वारा डाउनलोड किया जाना है।

2– सरकारी एवं निजी दोनों ही चिकित्सालयों में आपात चिकित्सा सुविधा 24x7 उपलब्ध हो। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए तथा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

3– अन्य समान्य रोगियों (जो पूर्व में ओ.पी.डी. में आते थे) के इलाज हेतु टेलीमेडिसन/टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लेने की व्यवस्था की जाए। इस हेतु चिकित्सकों के टेलीफोन नम्बर व उनके द्वारा परामर्श हेतु निर्धारित समय की जानकारी जन–सामान्य को उपलब्ध कराई जाए एवं टेलीफोन नम्बरों की सूची तैयार करा ली जाए। यदि किसी मरीज के रक्त आदि की जाँच आवश्यक हो, तो सैम्पल के होम कलेक्शन की व्यवस्था भी करा ली जाए।

4– कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं एवं आवश्यक सुरक्षा सामग्रियों की पूर्ण उपलब्धता रहे।

5– आगामी कुछ दिनों में कई त्यौहार आदि पड़ रहे हैं, इस अवसर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कोई भीड़ न हो और न ही कोई जुलूस आदि निकले तथा लॉक–डाउन का पूर्णतः पालन हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित धर्मगुरूओं/सामाजिक नेताओं से अपील करने का अनुरोध किया जाए कि लोग अपने घरों के अन्दर ही त्यौहार मनायें।

6– शेल्टर होम में भोजन एवं सफाई की व्यवस्था शासकीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में हो।

7– संस्थागत क्वारंटाइन की 14 दिन की अवधि पूर्ण करने के उपरान्त आवश्यक चिकित्सकीय जाँच के उपरान्त निगेटिव पाये गये व्यक्तियों को 14 दिन की अवधि के लिये होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाए तथा उसे आवश्यक खाद्यान भी उपलब्ध कराया जाए। होम क्वारंटाइन में रखे

क्रमशः–2..

Scanned by CamScanner

व्यक्तियों से निरन्तर टेलीफोन पर सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है।

8– अन्य प्रदेश एवं अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सम्बन्धित जिले विशेष सतर्कता बरतें कि प्रदेश के बाहर से प्रदेश में अथवा प्रदेश से बाहर लोगों का आवागमन न हो।

9– जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से निरन्तर पेट्रोलिंग कर लॉक–डाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

10– दिनांक 15 अप्रैल 2020 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय केन्द्रों का भी संचालन प्रारम्भ होगा। इसी समय राशन की दुकानों से खाद्यान का भी वितरण होना है। इन स्थानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए तथा सेनेटाईजर तथा साबुन से हांथ धोने की भी व्यवस्था की जाए। इन स्थानों में भीड़ से बचने हेतु टोकन व्यवस्था भी लागू की जा सकती है।

11– यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपने उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न बेचना पड़े तथा कोई भी व्यापारी अथवा कम्पनी निर्धारित गुणवत्ता का उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर क्रय न करे।

12– भोजन वितरण की व्यवस्था जिला स्तर पर केन्द्रीय रूप से नियंत्रित होनी चाहिये तथा यह सुनिश्चित होना चाहिये कि विश्वसनीय एवं प्रमाणित लोगों द्वारा ही भोजन का वितरण किया जाए। भोजन वितरण में स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।

13– आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति चेन पूरी तरह चालू रहे ताकि वस्तुओं के स्टोर पर उपलब्धता की कोई कमी न हो। आटा/दाल मिलों पर गेहूँ एवं दलहन की पर्याप्त व्यवस्था हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12.04.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या : (1)/पी.एस.एम.एस./2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ.प्र. शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि/खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

Scanned by CamScanner